न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 21/2015 (104/2020)

उनवान मिश्रीलाल बनाम वन संरक्षक अधिकारी ::

1. श्री मिश्रीलाल पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण उम्र करीबन 74 साल निवासी छोटा लाम्बा तहसील अंराई जिला अजमेर (राज.)

— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमान वन संरक्षक अधिकारी जयपुर रोड, अजमेर
2. श्रीमान क्षैत्रिय वन अधिकारी सरवाड , जिला अजमेर
3. वनपाल, वन विभाग छोटा लाम्बा तहसील अंराई जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय , अजमेर जिला अजमेर
5. बैंक ऑफ बडोदा शाखा प्रबन्धक ग्राम दादिया तहसील अंराई जिला अजमेर (राज.)

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ध्रुव सिंह चौधरी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. में पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त एंव खातेदारी की पैतृक कृषि आराजी वाके ग्राम लाम्बा तहसील अंराई जिला अजमेर मे वर्तमान खसरा नम्बर 2204/1976 रकबा 21 बीघा 15 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम पटवार क्षेत्र लाम्बा मे स्थित है। उक्त कृषि आराजी प्रार्थीगण के अपने पिता से विरासत मे प्राप्त हुई थी जिस पर प्रार्थी आज दिनांक तक काबिज काश्त है तथा प्रार्थीगण के चने की काश्त की हुई फसल मौके पर खडी हुई है। दिनांक 25.02.2015 को अप्रार्थीगण 2 व 3 प्रार्थीगण की कब्जे [illegible] व खातेदारी की आराजी उपरोक्त पर आये तथा कहने लगे कि आपकी उक्त आराजी हमारी वन [illegible] आराजी मे आती है हम आपकी उक्त आराजी मे जबरन गढढे खोदकर पिल्लर आदि लगाकर [illegible] करेगें, खन्दक लगा[illegible] प्रार्थीगण ने कहा की उक्त खसरा नम्बर 2204/1976 रकबा 21 बीघा 15 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम [illegible] आराजी हमारे पूर्वजो के समय से हमारे कब्जे काश्त एंव खातेदारी मे चली आ रही है। वन विभाग का उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:03 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

जी से किसी प्रकार का सम्बध व सरोकार नही है। वन विभाग की भूमि अलग है आपकी भूमि की मेंड़ अलग से पूर्वजो के समय से बनी हुई आ रही है किन्तु फिर भी अप्रार्थीगण 2 व 3 धमकी देकर ये कि तुम्हारे से जो किया जा सके कर लेना हम तुम्हारी कब्जे काश्त एंव खातेदारी की भूमि मे जबरन खड्डे खोदकर पिलर बनाकर तारबन्दी करेंगें, खन्दक लगायेगें। अप्राथीगण 1 से 3 को प्रार्थीगण की पैतृक आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार न होते हुये जबरन प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एंव खातेदारी की कृषि आराजी मे जबरन प्रवेश कर किसी तरह से विधि विरूद्व प्रवेश कर चने की खडी फसल मे प्रवेश कर खड्डे खोदे जाते है व किसी प्रकार के पिल्लर लगाकर तारबन्दी की जाती है किसी प्रकार से खन्दक अप्रार्थीगण 1 से 3 के स्वंय उनके अधिकारी कर्मचारी ऐजेन्ट ठेकेदार आदि द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही खड्डे खोदने पिल्लर बनाने व तारबन्दी खन्दक लगाने की कार्यवाही जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी मे की जाती है तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से मूल्य मे संभव नही हो सकेगी ऐसी स्थिति मे प्राथीगण की ओर से अप्रार्थीगण 1 से 3 के विरूद्व ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। आप्रार्थीगण 1 से 4 राजस्थान सरकार के अधीन अधिकारी व कर्मचारी है उनके विरूद्व दावा करने से पूर्व धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का नोटिस दिया जाना संभव नही है इस कारण धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत नोटिस की छुट प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र अलग से दावा के साथ पेश कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार प्रार्थना पत्र बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 5 बैंक ऑफ बडोदा शाखा प्रबन्धक ग्राम दादिया तहसील अंराई जिला अजमेर के यहां प्रार्थना पत्र अधीन आराजी रहन है इस कारण उन्हे पक्षकर प्रार्थना पत्र बनाया गया है। प्रकरण कारण दिनांक 25.02.2015 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा प्रार्थीगण की कृषि आराजी मे विधि विरूद्व प्रवेश होकर चने की खडी फसल मे खड्डे खोदकर व पिल्लर बनाकर तारबन्दी करने व खन्दक बनाने की कहने पर व जबरन बनाने की धमकी देने पर ग्राम लाम्बा तहसील अंराई जिला अजमेर मे प्रकरण कारण आरम्भ हुआ व दिन प्रतिदिन सत्त है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण को हो रही है तथा भविष्य मे प्रार्थीगण का अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से मूल्य में संभव नही होगी। यह किय प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न है। अतः श्रीमान की सेवा मे प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने एंव इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थी 1 लगायत 3 स्वंय उनके अधिकारी व अधीनस्थ कर्मचारी ऐजेन्ट ठेकेदार आदि को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द [illegible] प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 मे वर्णित कृषि आराजी मे किसी प्रकार से प्रवेश [illegible] व खन्दक न बनावें प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित [illegible] आदि से पाबन्द करावें अगर उन्हे ताफैसला मूल वाद मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से मूल्य मे संभव नही हो सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

प्रकरण को दिनांक 02.03.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया। दिनांक 24.08.2018 को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 06.02.2019 को वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 09 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. में पेश किया गया। दिनांक 01.04.2022 तक भी उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं आने के कारण दिनांक 01.04.2022 को वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 09 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. पर एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 09 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं स्वीकार किया गया और वकील प्रार्थी के जवाबुल जवाब को रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 24.08.2022 को अप्रार्थी संख्या 04 व 05 का जवाब बन्द किया गया।

दिनांक 13.10.2023 को वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थी अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त एंव खातेदारी की पैतृक कृषि आराजी वाके ग्राम लाम्बा तहसील अंराई जिला अजमेर मे वर्तमान खसरा नम्बर 2204/1976 रकबा 21 बीघा 15 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम पटवार क्षैत्र लाम्बा मे स्थित है। उक्त कृषि आराजी प्रार्थीगण के अपने पिता से विरासत मे प्राप्त हुई थी जिस पर प्रार्थीगण आज दिनांक तक काबिज काश्त है तथा प्रार्थीगण के चने की काश्त की हुई फसल मौके पर खडी हुई है। दिनांक 25.02.2015 को अप्रार्थीगण 2 व 3 प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एंव खातेदारी की आराजी उपरोक्त पर आये तथा कहने लगे कि आपकी उक्त आराजी हमारी वन विभाग आराजी मे आती है हम आपकी उक्त आराजी मे जबरन गढढे खोदकर पिल्लर आदि लगाकर तारबन्दी करेगें, खन्दक लगायेंगे। प्रार्थीगण ने कहा की उक्त खसरा नम्बर 2204/1976 रकबा 21 बीघा 15 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम की आराजी हमारे पूर्वजो के समय से हमारे कब्जे काश्त एंव खातेदारी मे चली आ रही है। वन विभाग का उक्त आराजी से किसी प्रकार का सम्बध व सरोकार नही है। वन विभाग की भूमि अलग है आपकी भूमि की खन्दक अलग से पूर्वजो के समय से बनी हुई आ रही है किन्तु फिर भी अप्रार्थीगण 2 व 3 धमकी देकर गये कि तुम्हारे से जो किया जा सके कर लेना हम तुम्हारी कब्जे काश्त एंव खातेदारी की भूमि मे जबरन खड्डे खोदकर पिलर बनाकर तारबन्दी करेंगें, खन्दक लगायेगें। अप्राथीगण 1 से 3 को प्रार्थीगण की पैतृक आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार न होते हुये जबरन प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एंव खातेदारी की कृषि आराजी मे जबरन प्रवेश कर किसी तरह से विधि विरूद्व प्रवेश कर चने की खडी फसल मे प्रवेश कर खड्डे खोदे जाते है व किसी प्रकार के पिल्लर लगाकर तारबन्दी की जाती है किसी प्रकार से खन्दक अप्रार्थीगण 1 से 3 के स्वंय उनके अधिकारी कर्मचारी ऐजेन्ट ठेकेदार आदि द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही खड्डे खोदने पिल्लर बनाने व तारबन्दी खन्दक लगाने की कार्यवाही जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी मे की जाती है तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी मूल्य मे संभव नही हो सकेगी ऐसी स्थिति मे प्राथीगण की ओर से अप्रार्थीगण 1 से 3 के विरूद्व नाफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण 1 से 4 राजस्थान सरकार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

अधीन अधिकारी व कर्मचारी है उनके विरूद्व दावा करने से पूर्व धारा 80 व्यवहार प्रकिया संहिता का नोटिस दिया जाना संभव नही है इस कारण धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत नोटिस की छुट प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र अलग से दावा के साथ पेश कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार प्रार्थना पत्र बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 5 बैंक ऑफ बडोदा शाखा प्रबन्धक ग्राम दादिया तहसील अंराई जिला अजमेर के यहां प्रार्थना पत्र अधीन आराजी रहन है इस कारण उन्हे पक्षकर प्रार्थना पत्र बनाया गया है। प्रकरण कारण दिनांक 25.02.2015 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा प्रार्थीगण की कृषि आराजी मे विधि विरूद्व प्रवेश होकर चने की खडी फसल मे खड्डे खोदकर व पिल्लर बनाकर तारबन्दी करने व खन्दक बनाने की कहने पर व जबरन बनाने की धमकी देने पर ग्राम लाम्बा तहसील अंराई जिला अजमेर मे प्रकरण कारण आरम्भ हुआ व दिन प्रतिदिन सतत है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीगण को हो रही है तथा भविष्य मे प्रार्थीगण का अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से मूल्य में संभव नही होगी। अतः श्रीमान की सेवा मे प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने एंव इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थी 1 लगायत 3 स्वंय उनके अधिकारी व अधीनस्थ कर्मचारी ऐजेन्ट ठेकेदार आदि को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 मे वर्णित कृषि आराजी मे किसी प्रकार से प्रवेश न करे खड्डे ना खोदे पिल्लर न बनावें व खन्दक न बनावें प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित न करे आदि से पाबन्द करावें अगर उन्हे ताफैसला मूल वाद मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से मूल्य मे संभव नही हो सकेगी। अतः श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने की कृपा करें।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल वाद की पत्रावली में संलग्न दस्तावेज ग्राम लाम्बा की जमाबन्दी सम्वत 2067–70 खसरा संख्या 2204/1976 रकबा 21 बीघा 15 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम तथा गिरदावरी सम्वत 2067–70 व 2071–74 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादअधीन भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज है तथा प्रार्थिगण द्वारा वादअधीन भूमि पर सम्वत 2067 व 2071 में सम्पूर्ण रकबा 21 बीघा 15 बीस्वा पर फसल काश्त की गई है, अप्रार्थीगणों द्वारा अपने जवाब में ना ही खसरा संख्या का उल्लेख किया है ओर ना ही किसी प्रकार के दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश किये हैं। अतः संलग्न दस्तावेज तथा उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारी, ऐजेन्ट, ठेकेदार को वादअधीन भूमि ग्राम लाम्बा स्थित खसरा संख्या 2204/1976 रकबा 21 बीघा 15 बीस्वा किस्म बारानी प्रथम (जमाबन्दी सम्वत 2067–2070) में किसी भी प्रकार से अतिचार, अतिक्रमण नहीं करने, मौके की यथास्थिती बनाये रखने तथा प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने के लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। यह अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश अन्य राजकीय विभागों के कार्य/न्यायालय आदेश/न्यायालय आदेश द्वारा रास्तो के अमल दरामद /रोका–रोडा के तहत बैंक कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई (अजमेर)

मुकदमा नम्बर 21/2015 (104/2020)

उनवान मिश्रीलाल बनाम वन संरक्षक अधिकारी

श्री मिश्रीलाल पुत्र श्री स्व. लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण उम्र करीबन 74 साल निवासी छोटा लाम्बा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य ....प्रार्थीगण

बनाम

श्रीमान वन संरक्षक अधिकारी जयपुर रोड अजमेर, जिला अजमेर राजस्थान व अन्य ----------- अप्रार्थीगण

<u>निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 09 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं.</u>

निर्णय दिनांक **20.05.2022**

उपस्थितः- वकील प्रार्थी दौराने बहस

प्रार्थीगण की ओर से वकील प्रार्थी श्री ध्रुव सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 09 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. दिनांक 06.02.2019 को पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में दिनांक 24.08.2018 को जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या संख्या 01 लगायत 03 की और से पेश किया गया है जिसके पैरा. सं. 02 में नये कथन अंकित किये गये है कि वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन व वन विभाग के रिकार्ड के अनुसार वन विभाग की भूमि है उक्त भूमि का वादीगण से कोई सरोकार नहीं है जिसका जवाबुल जवाब पेश किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा. सं. 03 में नये कथन अंकित किये गये हैं कि वादग्रस्त भूमि वन विभाग की ही भूमि है तथा वन विभाग का ही उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है,वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर न तो कभी कब्जा था और न ही आज है। 2015 में वन विभाग द्वारा नाबार्ड योजना के तहत 50 हैक्टैयर भूमि पर वृक्षारोपण करवाया है जिस भूमि पर वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा करवाया गया है उस भूमि पर आज दिवस तक वन विभाग का ही कब्जा एवं स्वामित्व है, इस कारण जवाबबुल जवाब पेश किया जाना आवश्यक है। यह है कि इसी प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 04 में नये तथ्य अंकित किये है कि वन विभाग की ओर से स्वयं के स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि सन् 2015 में [illegible] द्वारा नाबार्ड योजना के तहत 50 हैक्टैयर भूमि पर वृक्षारोपण करवाया है जिस भूमि पर [illegible] विभाग द्वारा करवाया गया है उस भूमि पर आज दिवस तक वन विभाग का ही कब्जा एवं स्वामित्व [illegible] तथा वादग्रस्त भूमि वन विभाग की है तो वादीगण को अपूरणिय क्षति होने का प्रश्न ही नहीं उठता,इ[illegible]कारण जवाबुल जवाब पेश किया जाना उचित है। यह है कि इसी प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 08 में नये तथ्य अंकित कियें हैं कि ,

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

जब दिनांक 25.02.2015 को प्रतिवादीगण ने वादीगण की किसी कृषि भूमि में विधि विरूद्ध प्रवेश करने व कोई कार्यवाही करने बाबत कोई धमकी ही नहीं दी गयी तो दिनांक 25.02.2015 को वाद कारण उत्पन्न होकर आज दिवस तक जारी रहने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, जिसका जवाबबुल जवाब पेश किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 10(1) में नये कथन अंकित किये गये है कि वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है वादग्रस्त भूमि वन विभाग के नक्शों व राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार वन सीमा में होने व वन विभाग की होने की पुष्टि राजस्व विभाग व वन विभाग द्वारा दिनांक 27.02.2015 को किये गये संयुक्त सर्वे के मौका पर्चा से होती है जिसका जवाबुल जवाब पेश किया जाना आवश्यक है अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 09 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. को स्वीकार फरमाते हुये प्रतिवादी द्वारा जवाबदावे में अंकित नवीन तथ्यों का जवाबुल जवाब पेश करने के आदेश प्रदान करावें।

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 09 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. के जवाब हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 06.02.2019 से दिनांक 01.04.2022 तक लगभग 24 तारीख पेशियों का समय दिये जाने तथा तहरीर लिखे जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर अप्रार्थीगण का जवाब दिनांक 01.04.2022 को बन्द कर दिया गया तथा वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 09 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. को स्वीकार फरमाते हुये अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित नवीन तथ्यों का जवाबुल जवाब पेश करने के आदेश प्रदान करावें।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई ,पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा दिनांक 06.02.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 09 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. पेश कर दिया गया था जबकि प्रकरण उस समय बहस टी.आई. हेतु नियत था अतः यदि नये तथ्यों का जवाबुल जवाब प्रार्थीगण की ओर से पेश किया जायेगा तो अप्रार्थीगण को कोई हानि कारित नहीं होगी इसके विपरित नये तथ्यों का समावेश होने से न्याय की भी सुलभता रहेगी अतः प्रार्थी वकील द्वारा दिनांक 06.02.2019 को पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 09 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा वकील प्रार्थी द्वारा पेश जवाबुल जवाब को रिकार्ड पर लिया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर करने के उपरान्त आज दिनांक 20.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.06.28 16:02:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)